जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-24.04.2025

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

दिनांक 23.04.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.देवदत्त उर्फ विकास पुत्र रामपाल निवासी ग्राम लपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अदद अवैध तमन्चा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 189/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 202/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 111/2023 धारा 18/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामदः-

दिनांक 23.04.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ/अवैध शराब निर्माण/बिक्री/तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्ता को 01 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही गई।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्ताः-

1.श्रीमती जोया पत्नी सलमान निवासी शिवाला मन्दिर के पास थाना कांधला जनपद शामली हाल पता किरायेदार आरिफ का मकान सलेमपुर रोड थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 किलो 500 ग्राम गांजा।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में गौवध अधिनियम के 01 मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1.-वर्ष 2006 में अभियुक्त इकबाल पुत्र रुकमदीन निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 04/2006 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 24.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसड़ी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5,000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI